संख्या-17/2023/715/002-23-14099-099-74-2022

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर,
ललितपुर, झांसी एवं जालौन।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक- 25 मार्च, 2023**

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद- हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन, ललितपुर एवं झांसी के 27 परियोजनाओं का निर्माण कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक तालिका में अंकित पत्रों का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें:-

क्र0सं0	मण्डलायुक्त	आयुक्त के पत्र संख्या एवं दिनांक
1	आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा	संख्या-410/सं0वि0आ0/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 03.09.2022, संख्या-538/सं0वि0आ0/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 02.11.2022, संख्या-459/सं0वि0आ0/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 22.11.2022, संख्या-578/सं0वि0आ0/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 23.11.2022, संख्या-587/सं0वि0आ0/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 29.11.2022, संख्या-599/सं0वि0आ0/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 30.11.2022, संख्या-676/सं0वि0आ0/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 07.01.2023, संख्या-687/सं0वि0आ0/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 12.01.2023, संख्या-713/सं0वि0आ0/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 18.01.2023, संख्या-716/सं0वि0आ0/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 21.01.2023, संख्या-721/सं0वि0आ0/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 23.01.2023
2	आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी	संख्या-1184/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 14.02.2023, संख्या-1174/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 09.02.2023, संख्या-1185/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 14.02.2023, संख्या-1163/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 07.02.2023, संख्या-1133/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 27.01.2023, संख्या-1120/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 21.01.2023, संख्या-1118/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 20.01.2023, संख्या-1104/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 18.01.2023, संख्या-1103/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 17.01.2023, संख्या-1007/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 15.12.2022, संख्या-951/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 23.11.2022, संख्या-978/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 03.12.2022, संख्या-936/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 16.11.2022, संख्या-935/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 16.11.2022, संख्या-866/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 25.10.2022, संख्या-703/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 31.08.2022,

सन्दर्भित पत्रों द्वारा शासन को प्रेषित प्रस्तावों के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद- हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन, ललितपुर एवं झांसी की कुल 27 परियोजनाओं, जिनका विवरण निम्न तालिका में अंकित है, का निर्माण कराये जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त धनराशि रू0 3269.61 लाख (रूपये बत्तीस करोड़ उनहत्तर लाख इकसठ हजार मात्र) की धनराशि (जिसमें अधिष्ठान व्यय 6.875 प्रतिशत, लेबर सेस 1 प्रतिशत, मूल्यह्रास निधि 1.5 प्रतिशत एवं जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 980.90 लाख (रू0 नौ करोड़ अस्सी लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि बुन्देलखण्ड विकास

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-83 से अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-83 अन्तर्गत कार्यो का विवरण

धनराशि (लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद	कार्यदायी संस्था	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	मूल्यांकन पश्चात लागत	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	हमीरपुर	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	ग्राम कुम्हरूपुर से भरतपुरवा मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य।	1.05	82.90	24.87
2	महोबा	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	रतौली से प्रकाश बम्होरी (म0 प्र0 की सीमा) तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.00	76.14	22.84
3	महोबा	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	ग्राम मिरतला से बम्हौरी गोसाई तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.50	113.28	33.98
4	महोबा	नि0ख0- 1 लो0नि0वि0	दिदौरा से घुटई सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.50	106.37	31.91
5	महोबा	नि0ख0- 1 लो0नि0वि0	ग्राम काकुन से नर्टरा मेनरोड बड़ा बाबा तालाब तक सी0सी0 मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.70	64.83	19.45
6	बांदा	नि0ख0- 1 लो0नि0वि0	ग्राम पंचायत रक्सी में कालिंजर बघेलावारी मार्ग से सिंह वाहिनी मंदिर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	0.70	51.92	15.58
7	बांदा	नि0ख0- 1 लो0नि0वि0	खुरहण्ड गांव के महावीरन मंदिर से विजयवीर सिंह के ट्यूबवेल होते हुये खुरहण्ड बिलगांव सम्पर्क मार्ग तक रोड का निर्माण कार्य।	2.10	149.77	44.93
8	बांदा	नि0ख0- 1 लो0नि0वि0	सरस्वाह में शीतल प्रजापति के घर से छोटा कहार के पुरवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	0.90	62.53	18.76
9	बांदा	नि0ख0- 1 लो0नि0वि0	ग्राम पंचायत सौंता में सौखी प्रजापति के खेत से होते हुये ठसरी पुरवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.35	97.46	29.24
10	बांदा	नि0ख0- 1 लो0नि0वि0	ग्राम रेठना में देवी जी स्थान से निकट का पुरवा तिन्दवारा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.50	151.03	45.31
11	बांदा	नि0ख0- 1 लो0नि0वि0	अलिहा - रजवाहा में छिबांव के ट्यूबवेल नं0 6 से दक्षिण दिशा की ओर गन्दा नाला में पुल का निर्माण कराते हुए छिबांव माइनर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	2.90	248.77	74.63

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12	बांदा	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	विकास खण्ड बबेरू में पूरन के दरवाजे से प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.85	68.66	20.60
13	बांदा	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	मटौंध से मण्डी समिति तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.10	73.00	21.90
14	बांदा	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	मटौंध से अमर शहीद गेट के आगे ब्लाक प्रमुख के फार्म हाउस से मध्य प्रदेश सीमा तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.10	76.45	22.94
15	चित्रकूट	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	बालापुर खालसा से कपना सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य	1.00	82.30	24.69
16	चित्रकूट	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	रगौली में डिग्री कालेज के पास से अनुसूचित जाति बस्ती बालापुर खालसा सम्पर्क मार्ग	1.10	92.64	27.79
17	चित्रकूट	नि0ख0- 1 लो0नि0वि0	खण्डेहा का मजरा पटपहरा से मोहनपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.00	114.29	34.29
18	चित्रकूट	नि0ख0- 1 लो0नि0वि0	औंझर सम्पर्क मार्ग के किमी 0 1 से खपटिहा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.00	90.97	27.29
19	चित्रकूट	नि0ख0- 1 लो0नि0वि0	ग्राम पंचायत खटवारा में विलासपुर से नहर पुल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.20	102.57	30.77
20	चित्रकूट	नि0ख0- 1 लो0नि0वि0	ग्राम पंचायत खटवारा में रामेश्वर की चक्की से मरवापुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.50	127.05	38.12
21	चित्रकूट	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	बालापुर खालसा - कपना सम्पर्क मार्ग से गैलिहा से मिट्ठू माली के पुरवा तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.10	92.59	27.78
22	जालौन	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	चांदनी से कौशलपुर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.30	112.15	33.65
23	जालौन	नि0ख0- 1 लो0नि0वि0	गोरा भूपका से इटवां कनार सम्पर्क मार्ग।	2.10	199.45	59.84
24	ललितपुर	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	वि0ख0 - बिरधा के ग्राम पंचायत खिरिया छतारा में श्री प्रकाश साहू के मकान से हजारी अहिरवार के मकान तक व भगवान सिंह के मकान से फूला दउअन के हैण्डपम्प तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	1.05	76.66	23.00
25	ललितपुर	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	विकास खण्ड जखौरा के ग्राम मडवारी कमलेश के घर से जूनियर हाईस्कूल तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य	0.70	59.68	17.90
26	झांसी	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	राजापुर से लठवारा मार्ग में नव - निर्माण का कार्य।	2.70	205.67	61.70

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

27	झांसी	नि0ख0- 3 लो0नि0वि0	विकास खण्ड बामौर के ग्राम कैरोखर से बाराह देवी मंदिर होते हुए अस्ता तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	5.00	490.48	147.14
			योग	**39.00**	**3269.61**	**980.90**

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबंधो:-</u>

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी तथा विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय।

(3) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्य जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

(6) विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011, दिनांक 25-01-2011 के अनुसार विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(8) विभाग द्वारा मूल्यह्रास आरक्षित निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा की जायेगी।

(9) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(10) यदि प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है, तो भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(12) पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) नियमानुसार यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व पूर्ण संस्था का होगा।

(15) परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था फार्म-42 आई पर उपभोग प्रमाण-पत्र अपने मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त शासन को प्रेषित करेगें तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजनाओं के पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(16) मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगें, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम (राज्य सरकार अथवा अन्य किसी श्रोत द्वारा) के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किये गये हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(17) विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(18) यह धनराशि केवल उक्त परियोजनाओं पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(19) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/ 2022/ बी-1-454/ दस-2022-231/ 2022 दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी का होगा।

(20) उपर्युक्त परियोजनाओं के समयबद्व एवं गुणात्मक क्रियान्वयन के लिए सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।

(21) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय/उपयोग हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,80,90,000 (रुपये नौ करोड़ अस्सी लाख नव्वे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4575027890400 बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-730-X-2022-23-दिनांक:18-3-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-17/2023/715(1)/002-23-14099-099-74-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त ।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी/ सम्बन्धित मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्याक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
9- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
10- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।
11- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/नियोजन विभाग/लोक निर्माण अनुभाग-10
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in